उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकार का कार्यालय, लोहरदगा

(उत्पाद शाखा)

खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सूचना

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1/नीति–28/2018– 2135 दिनांक– 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित **"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018"** एवं विभागीय पत्र **संख्या–01/बंदो–37–04–2012–1432 दिनांक– 28.08.2020** तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्तो के तहत, दो वर्षो की ब्लॉक अवधि (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2022 तक) हेतु, अथवा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से शेष बची अवधि के लिए लोहरदगा जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अबन्दोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों अर्थात् "देशी शराब की 01 (एक) दुकानें" एव "विदेशी शराब की 01 (एक) खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती समूह में "ऑफ लाईन" प्रणाली द्वारा निम्नलिखत कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी –

क्र0	*विषय*	*तिथि*
1	2	*3*
1	"देशी शराब दुकान", "विदेशी शराब दुकान" की बंदोबस्ती हेतु ऑफलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि व समय	प्रत्येक कार्य दिवस
2	लॉटरी की तिथि एवं समय	प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार
3	लॉटरी का स्थान	जिला समाहरणालय का सभाकक्ष
4	बंदोबस्ती पदाधिकारी	उपायुक्त लोहरदगा

2. **लॉटरी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंधो की विवरण निम्नवत है:–**

i. दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई **"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018"** (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा राजस्व पर्षद द्वारा बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों की तहत सम्पन्न करायी जायेगी।

ii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु दुकानों के समूह का गठन किया गया है। दुकानों की बंदोबस्ती हेतु गठित समूह के अंतर्गत न्यूनतम एक दुकान तथा अधिकतम तीन दुकाने हो सकती है। दुकानों की बंदोबस्ती समूहवार की जायेगी।

iii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक के लिए की जायेगी, परंतु अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षो के लिए नवीकरण, दुकानों की संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये

जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्ते एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त्तों के अनुसार किया जा सकेगा।

iv. **बंदोबस्ती हेतु अर्हत्ता –** कोई भी आवेदक खुदरा उत्पाद दुकान के किसी समूह पर अधिकतम तीन आवेदन समर्पित कर सकता है। आवेदक जिला/राज्य की सभी दुकानों के समूह पर तीन आवेदक समर्पित कर सकता है, बशर्त्ते कि वह समूह अंतर्गत दुकानों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एवं नियमानुसार GST की राशि जमा कर दें। लॉटरी में एक आवेदक किसी जिले में लॉटरी के तहत अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा तथा संपूर्ण राज्य में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा। जैसे– यदि वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण की लॉटरी में यदि किसी आवेदक के साथ संमूर्ण राज्य में पाँच समूह की बंदोबस्ती हो गई है और यदि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सभी दुकानों का नवीकरण करा लिया गया हो, तो इस चरण की बंदोबस्ती में उसके साथ मात्र एक ही समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी। इसी प्रकार यदि किसी आवेदक के पक्ष में तीन चरणें की बंदोबस्ती में छः समूह की बंदोबस्ती हो चुकी है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी। यदि किसी आवेदक के साथ पूर्व में पाँच समूह की बंदोबस्ती की गई है तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एक समूह का नवीकरण नहीं कराया गया है, तो उसके साथ अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती की जायेगी, अर्थात् किसी भी परिस्थिति में एवं सभी चरणों की बंदोबस्ती के पश्चात किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो समूह तथा सभी जिला में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी।

v. जिन व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति विभागीय नियमों के उल्लंघन तथा सरकारी बकाया रहने के कारण विखंडित हूई है, वैसे व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2020–21 की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।

vi. जिन व्यक्तियों के द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण सरकारी बकाया रहने के कारण नहीं कराया गया है, वैसे व्यक्ति भी वित्तीय वर्ष 2020–21 की शेष अवधि की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।

vii. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 15% न्यूनतम प्रत्या भूत उत्पाद कर (MGD) एवं 85% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर (ETD) है।

viii. किसी भी दुकान हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 2% धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), 5% जमानत की राशि (Security Deposit) तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर निर्धारित है।

ix. किसी भी प्रकार के दुकान की लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदक को उस दुकान के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, GST एवं धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अलग–अलग जो अधीक्षक उत्पाद, लोहरदगा के पदनाम से जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क, एवं GST की राशि Non-refundable है। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय जमानत/अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (Advance Excise Transport Duty) की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

x. बंदोबस्ती में सफल आवेदक को दुकान अथवा दुकानों के समूह के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% जमानत की राशि तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा। साथ ही उन्हें उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को एकमुश्त जमा करना होगा। ससमय वांछित राशि जमा करने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

यदि बंदोबस्ती के उपरांत लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती के लिए निर्धारित जमानत की राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर ससमय नहीं जमा किया जाता है, तो आवेदक द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम उत्पाद विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक भविष्य में किसी भी प्रकार की उत्पाद विज्ञप्ति धारण नहीं कर सकेंगे।

xi. आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक के पास निम्नलिखित कागजात होने चाहिए –

a. वैयक्तिक पहचान हेतु – पैन कार्ड (अनिवार्य)/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (अनिवार्य) की हार्ड कॉपी;

b. निवास प्रमाण हेतु – पासपोर्ट/अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी (इनमें से कोई एक);

c. पत्राचार पता हेतु – पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट के पहले पेज की हार्ड कॉपी (इनमें से कोई एक);

d. बैंक पासबुक की हार्ड कॉपी (प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संबंधित विवरणी अंकित रहती है), अथवा, "बैंक स्टेटमेंट की प्रति", जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन माह पूर्व की न हो अथवा,"कैन्सिल्ड चेक"।

e. आयकर रिटर्न की छायाप्रति { वित्तीय वर्ष 2018–19, Assessment year 2019–20 (ITR – V)} ।

f. आवेदक का हाल में खींचा गया फोटो सॉफ्ट कॉपी;

xii. लेहरदगा जिला के खुदरा उत्पाद दुकानों की विवरणी जिला उत्पाद कार्यालय, से प्राप्त की जा सकती है।

xiii. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बंदोबस्ती की तिथि में परिवर्तन करने का एकाधिकार उपायुक्त, लोहरदगा के पास रहेगा।

3. दुकानो की विस्तृत विवरणीः–

जिला का नाम	समूह का नाम	दुकान की प्रकृति	दुकान का नाम एवं अवस्थिति	वार्षिक अनुज्ञाशुल्क (Annual License Fee)	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Annual MGR)			आवेदन शुल्क, EMD एव GST सहित
					देशी	विदेशी	कुल	
लोहरदगा	06_LOH_CF_06	विदेशी	कुडू बाजार क्षेत्र	25000	–	12035960	12035960	246620
लोहरदगा	06_LOH_CF_06	देशी	कुडू बाजार क्षेत्र	15000	690332	–	690332	17347
		समूह का योग		40000	690332	12035960	12726292	263967

ह0 / –
उपयुक्त,
लोहरदगा।

ज्ञाप संख्या–272/उ0, दिनांक–01-12-2020

प्रतिलिपि :–1. सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा / उप विकास आयुक्त, लोहरदगा / अपर समाहर्त्ता लेहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा / सभी अंचलाधिकारी, लोहरदगा / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेषित।
4. सभी उपायुक्त उत्पाद / सभी सहायक आयुक्त उत्पाद / सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित।
5. NIC, लोहरदगा को सूचनार्थ।

1/12/2020
उपयुक्त,